झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची
कार्यालयः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पलामू प्रमण्डल मेदिनीनगर अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं डायट केन्द्र में दो वर्षीय शिक्षक–प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2015–17 में नामांकन हेतु

विज्ञप्ति संख्या 01/2016–2017

1. सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–1382 दिनांक 20.05.2004 एवं 2102 दिनांक 28.07.2004 तथा पत्रांक–236 दिनांक 25.01.2006 विभागीय संकल्प सं0– 1386 दिनांक 03.08.2012 एवं विभागीय संकल्प सं0 1684 दिनांक 17.09.2013 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E) से मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में सत्र 2015–17 में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामाकंन हेतु चयन प्रक्रिया पूरा करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को प्राधिकृत किया गया है।
2. तदनुसार एतद् द्वारा पलामू प्रमण्डल में अवस्थित निम्नांकित राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों/ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में सत्र 2015–17 में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण हेतु छात्र/छात्राओं से दिनांक 10 अप्रैल 2017 (सोमवार) के संध्या 4.00 बजे तक निम्न शर्तो के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। महिला अभ्यर्थी महिला प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मेदिनीनगर के लिए आवेदन करेंगी।

क्रमांक	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट केन्द्र का नाम	सीटों की संख्या
01	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रेहला + प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सतबरवा	50 + 50 पुरूष
02	प्रा0शि0 प्र0 महा0 सह जि0 शि0 एवं प्रशिक्षण संस्थान, लातेहार	100 पुरूष
03	महिला प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मेदिनीनगर।	50 महिला

3. पात्रताः–

(क) **शैक्षणिक योग्यताः–** विभागीय संकल्प संख्या 1382 दिनांक 20.05.20104 के क्रम में संशोधित विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के द्वारा दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से उच्च माध्यमिक परीक्षा/इंटरमीडिएट/+2 अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में सामान्य कोटि के उमीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उतीर्ण हों, परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए यह 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ख) आवासीयः– केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जोः–

(i) झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में जन्म लिये हो।

(ii) a) वे,
b) उनके पालकों (parents) में से कोई,
c) उनके पालकों (parents) में से कोई, जीवित न हो तो उनके वैध अभिभावक (parents) झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में निरन्तर कम से कम 15 वर्षो से निवास कर रहें हो अथवा,

(iii) उनके पालकों (parents) में से कोई भी,
a) झारखण्ड राज्य शासन में सेवारत हो या सेवा निवृत कर्मचारी हो अथवा,
b) जिनके पालकों (parents) में में कोई भी भारत सरकार के कर्मचारी हो और प्रतिनियुक्त पर झारखण्ड राज्य में या झारखण्ड में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों/संस्थानों के कर्मचारी हो अथवा

(iv) a) वे स्वयं,
b) उनके पालकों (parents) में से कोई भी झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में पिछले 5 वर्षो से कोई अचल सम्पति/उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हों।

(v) a) उसने अपनी शिक्षा झारखण्ड राज्य के किसी शिक्षा संस्थान से कम से कम 7 वर्षो तक प्राप्त कीं हो अथवा,
i) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उर्त्तीणता प्राप्त की हो।
ii) झारखण्ड की आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान एवं उनकी पत्नी/पति हों।
iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति की पत्नी/पति हों।
iv) आवेदक के पिता मूल निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आते हों और यदि वह सैनिक सेवा के कारण झारखण्ड राज्य में पदस्थापित नहीं हो सके हों, तो वे आवेदन के योग्य होंगे भले ही उन्होंने राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त न की हो, यह सुविधा केवल सैनिक सेवा अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।
v) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण पत्र में छूट अनुमान्य होगी।
vi) वैसे अभ्यर्थी जो कश्मीर से आये हुए विस्थापित परिवार के हों तथा जिनके पालकों (parents) में से कोई भी झारखण्ड राज्य में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हों।
vii) झारखंड के माननीय सांसदों/पूर्व सांसदों/विधायकों/पूर्व विधायकों एवं पूर्व पार्षदों एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अलोक में झारखण्ड राज्य के पार्षदों के पुत्र/पुत्रियों हों।
viii) इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उन्हीं आवेदकों को मान्य होगा, जो किसी अन्य राज्य के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से आच्छादित न हों।
ix) आवेदन पत्र के साथ आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
x) विवाहित महिला अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य की हो और इस राज्य में उनका ससुराल हो तो वे अपना आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। पति के आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर पत्नी का दावा मान्य नहीं होगा।

(ग) उम्र सीमा :– आवेदक की उम्र पहली जुलाई 2016 को न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।

4. आरक्षणः– विभागीय एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखण्ड के पत्र संख्या'– 6191 दिनांक– 09.11.2002 एवं पत्र संख्या 1072 दिनांक 17.02.2009 के आलोक में नियमानुसार आरक्षण कोटि के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आरक्षण कोटि के उम्मीदवार को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुमण्डल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने की स्थिति में उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ देय नही होगा। आवेदन पत्र समर्पित करने के बाद की तिथि से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण लाभ के लिए मान्य नही है। दूसरे राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इस राज्य के आरक्षण कोटा में लाभ देय नहीं होगा।

5. चयनः– विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के आलोक में शैक्षणिक योग्यात के आधार पर निम्न अनुसार अंक प्रदान कर मेधांक का निर्धारण किया जायेगाः–

क्र0	प्राप्तांक(अनारक्षित/आरक्षित कोटि)	परीक्षावार एवं प्राप्तांक प्रतिशतवार अनुमान्य मेधांक				
		मैट्रिक	उच्च माध्यमिक/+2	स्नातक		स्नातकोत्तर
				पास कोर्स	प्रतिष्ठा	
1	50%/45% से अधिक एवं 60% से कम	5	5	5	10	5
2	60% से 65% तक	6	6	6	11	6
3	65% से अधिक एवं 70% तक	7	7	7	12	7
4	70% से अधिक एवं 75% तक	8	8	8	13	8
5	75% से अधिक एवं 80% तक	9	9	9	14	9
6	80% से अधिक	10	10	10	15	10

प्रवेश हेतु कुल मेधांक–45 अंक

3/21.03.17

I	एन.सी.सी (बी. – सर्टीफिकेट)	– 2 अंक
II	एन.सी.सी (सी. – सर्टीफिकेट)	– 3 अंक
III	खेलकूद में जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो और खेलकूद का प्रमाण पत्र सक्षम संस्थान से निर्गत हो	– 3 अंक
IV	खेलकूद में जिसमे देश का प्रतिनिधित्व किया हो और खेलकूद का प्रमाण पत्र सक्षम संस्थान से निर्गत हो	– 5 अंक

कुल मिलाकर (45+5) = 50 अंक

कुल मेधांक समान रहने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारियों को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सभी कुछ समान हुए तो जिस उम्मीदवार की जन्मतिथि पूर्व की हो उन्हें जन्मतिथि के आधार पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

6. विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सीटों का बंटवारा एवं उसके विरूद्ध नामांकन निम्नवत होगा:–

1.	भाषा	हिन्दी/संस्कृत/अरबी/फारसी/उर्दू	30 प्रतिशत
		अंग्रेजी	10 प्रतिशत
		जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाएं	10 प्रतिशत
2.	विज्ञान	भौतिक/गणित	15 प्रतिशत
		रसायन/जीव विज्ञान	15 प्रतिशत
3.	समाज अध्ययन	इतिहास/भूगोल/नागरिक शास्त्र/अर्थशास्त्र/वाणिज्य	20 प्रतिशत

7. **दिव्यांग उम्मीदवार :–** दिव्यांग उम्मीदवारों को सभी कोटि में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0– 5671 दिनांक 04.07.2016 के आलोक में 3 प्रतिशत आरक्षण अपने ही कोटि के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण (अंधापन/कमदृष्टि = 01 + श्रवण अशक्तता = 01 + चलन अशक्तता/सेरब्रल पाल्सी = 01 = 03) का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही आवेदन पत्र प्रेषित करने वाले लिफाफ के उपर दिव्यांग कोटि (सामान्य/पिछड़ा–(1)/पिछड़ा–(2)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) पुरूष महिला स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है।

8. शुल्कः– आवेदन पत्र के साथ सामान्य/पिछडा/अत्यन्त पिछडा कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रु. 100/– (एक सौ) रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु. 30/–(तीस) रुपए नगद वनांचल ग्रामीण बैंक डालटनगंज के खाता सं0– 14261000555 जो क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमण्डल मेदिनीनगर (Regional DY. Director of Education Palamau Division Medininagar (IFSC Code- SBIN0RRVCGB) के नाम से जमा करना होगा। राशि नगद जमा करने के पश्चात बैंक द्वारा जारी जमा पर्ची की अधकटी आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करना होगा। पर्ची की अधकटी के पीछे आवेदक अपना नाम, कोटि और पता का उल्लेख अवश्य करें, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

9. **आवेदन कैसे करें:–** नामांकन हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित विहित प्रपत्र में पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों सहित, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर (आयुक्त कार्यालय के प्रथम तल कमरा सं0 21) झारखण्ड, पिन कोड– 822101 को भेजें। लिफाफा के उपर मोटे अक्षरों में अभ्यर्थी, पुरूष कोटि/महिला कोटि अंकित करेंगे। नामांकन हेतु विषय का भी अंकन करेंगे। नामांकन के लिये बुलावा पत्र हेतु 23X10 सें0मी0 स्वपता लिखा हुआ लिफाफ जिसपर 25/– रुपये का डाक टिकट चिपका हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

10. **आवेदन भरने की अंतिम तिथि:–** भरे हुए आवेदन निबंधित डाक के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10 अप्रैल 2017 (सोमवार) के संध्या 4 बजे तक प्राप्त किए जायेंगें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. आवेदन पत्र में दर्शायी गई अंक/जाति/आवासीय की पुष्टि में स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। अन्यथा इसके अभाव में त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान कर चयन प्रक्रिया के लिए दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

12. चयनित आवेदकों की सूची कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा डाक के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। चयनित नहीं होने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी। चयनित आवेदकों को नामांकन के समय सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति, उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रमाण–पत्र के अभाव मे नामांकन नहीं लिया जाएगा तथा उनका दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अस्वीकृत आवेदन पत्र कार्यालय अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे अर्थात इसे लौटाया नहीं जाएगा।

13. विभाग द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात् प्राप्त होता है तो उस स्थिति में नामांकन हेतु चयन की सारी प्रक्रिया उस आदेश से प्रभावित होगा। इसके लिए अधोहस्ताक्षरी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

21/03/17

(रामयतन राम)
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।
21.03.17

6	80% से अधिक	10	10	10	15	10

प्रवेश हेतु कुल मेधांक–45 अंक

I	एन.सी.सी (बी. – सर्टीफिकेट)	– 2 अंक
II	एन.सी.सी (सी. – सर्टीफिकेट)	– 3 अंक
III	खेलकूद में जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो और खेलकूद का प्रमाण पत्र सक्षम संस्थान से निर्गत हो	– 3 अंक
IV	खेलकूद में जिसमे देश का प्रतिनिधित्व किया हो और खेलकूद का प्रमाण पत्र सक्षम संस्थान से निर्गत हो	– 5 अंक

कुल मिलाकर (45+5) = 50 अंक

कुल मेधांक समान रहने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारियों को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सभी कुछ समान हुए तो जिस उम्मीदवार की जन्मतिथि पूर्व की हो उन्हें जन्मतिथि के आधार पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

6. विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सीटों का बंटवारा एवं उसके विरूद्ध नामांकन निम्नवत होगा:–

1.	भाषा	हिन्दी/संस्कृत/अरबी/फारसी/उर्दू	**30 प्रतिशत**
		अंग्रेजी	**10 प्रतिशत**
		जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाएं	**10 प्रतिशत**
2.	विज्ञान	भौतिक/गणित	**15 प्रतिशत**
		रसायन/जीव विज्ञान	**15 प्रतिशत**
3.	समाज अध्ययन	इतिहास/भूगोल/नागरिक शास्त्र/अर्थशास्त्र/वाणिज्य	**20 प्रतिशत**

7. **दिव्यांग उम्मीदवार** :– दिव्यांग उम्मीदवारों को सभी कोटि में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0– 5671 दिनांक 04.07.2016 के आलोक में 3 प्रतिशत आरक्षण अपने ही कोटि के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण (अंधापन/कमदृष्टि = 01 + श्रवण अशक्तता = 01 + चलन अशक्तता/सेरब्रल पाल्सी = 01 = 03) का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही आवेदन पत्र प्रेषित करने वाले लिफाफ के उपर दिव्यांग कोटि (सामान्य/पिछड़ा–(1)/ पिछड़ा–(2)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) पुरूष महिला स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है।

8. **शुल्कः**– आवेदन पत्र के साथ सामान्य/पिछ्डा/अत्यन्त पिछ्डा कोटि के अभ्यार्थियों के लिए रु. 100/– (एक सौ) रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु. 30/–(तीस) रुपए नगद वनांचल ग्रामीण बैंक डालटनगंज के खाता सं0– 14261000555 जो क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमण्डल मेदिनीनगर (Regional DY. Director of Education Palamau Division Medininagar (IFSC Code- SBIN0RRVCGB) के नाम से जमा करना होगा। राशि नगद जमा करने के पश्चात बैंक द्वारा जारी जमा पर्ची की अधकटी आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करना होगा। पर्ची की अधकटी के पीछे आवेदक अपना नाम, कोटि और पता का उल्लेख अवश्य करें, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

9. **आवेदन कैसे करें**:– नामांकन हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित विहित प्रपत्र में पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों सहित, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर (आयुक्त कार्यालय के प्रथम तल कमरा सं0 21) झारखण्ड, पिन कोड– 822101 को भेजें। लिफाफा के उपर मोटे अक्षरों में अभ्यर्थी, पुरूष कोटि/महिला कोटि अंकित करेंगे। नामांकन हेतु विषय का भी अंकन करेंगे। नामांकन के लिये बुलावा पत्र हेतु 23X10 से0मी0 स्वपता लिखा हुआ लिफाफ जिसपर 25/– रुपये का डाक टिकट चिपका हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

10. **आवेदन भरने की अंतिम तिथिः**– भरे हुए आवेदन निबंधित डाक के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10 अप्रैल 2017 (सोमवार) के संध्या 4 बजे तक प्राप्त किए जायेगें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. आवेदन पत्र में दर्शायी गई अंक/जाति/आवासीय की पुष्टि में स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। अन्यथा इसके अभाव में त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान कर चयन प्रकिया के लिए दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

12. चयनित आवेदकों की सूची कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा डाक के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। चयनित नहीं होने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी। चयनित आवेदकों को नामांकन के समय सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति, उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रमाण–पत्र के अभाव मे नामांकन नहीं लिया जाएगा तथा उनका दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अस्वीकृत आवेदन पत्र कार्यालय अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे अर्थात इसे लौटाया नहीं जाएगा।

13. विभाग द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात् प्राप्त होता है तो उस स्थिति में नामांकन हेतु चयन की सारी प्रक्रिया उस आदेश से प्रभावित होगा। इसके लिए अधोहस्ताक्षरी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

नोट– प्रपत्र का प्रारूप कार्यालय के सूचना पट्ट या पलामू जिला के के बेवसाईट www.palamu.nic.in पर उपलब्ध है।

(रामयतन राम)
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची

आवेदन पत्र

(पलामू प्रमण्डल अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं डायट केन्द्रों मे सत्र 2015–17 अन्तर्गत नामांकन हेतु)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए :–
आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती/सुश्री ....पिता/पति श्री ....का नाम
राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट ....में नामांकन के लिए अनुशंसित किया जाता हैं।
इनका नाम मेधा सूची के क्रमांक ....पर अंकित हैं।
दिनांक :–

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएँ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :..............................
(अंग्रेजी के बड़ें अक्षरों में)..............................
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :..............................
(अंग्रेजी के बड़ें अक्षरों में)..............................
3. जन्मतिथि (माध्यमिक परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के अनुसार)
(क) अंको में..............................(ख) अक्षरों मे..............................
4. दिनांक 01.07.2016 को कुल आयु : वर्ष ....माह..............दिन..............
5. स्थायी पता: ग्राम/मोहल्ला : .... पो. ....
थाना :.............................. जिला :..............................
राज्य : .... पिन कोड : .... फोन नं.............. ईमेल पता ....
6. वर्तमान/पत्राचार का पता : ग्राम/मोहल्ला : .... पो. ....
थाना :.............................. जिला :..............................
राज्य : .... पिन कोड : .... फोन नं.............. ईमेल पता ....
7. कोटि (सामान्य/पिछड़ा वर्ग–(1)/ पछड़ा वर्ग–(2)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) :..............................(आवेदक आरक्षण कोटि की स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रदत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। जाति प्रमाण पत्र संलग्न नही रहने की स्थिति में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। दूसरे राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।) आवेदन पत्र के उपर सामान्य/पिछड़ा वर्ग–1/ पछड़ा वर्ग–2/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अवश्य अंकित करें।
8. शैक्षणिक योग्यता :

क.स.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
(क)	मैट्रिक				
(ख)	इंटर				
(ग)	स्नातक				
(घ)	स्नातक (प्रतिष्ठा)				
(ङ)	स्नातकोत्तर				
(च)	कीडा				
(छ)	एन.सी.सी				

9. निम्नलिखित विषय या विषय समूहों में से किसी एक विषय/विषय समूह में आवेदन किया जायेगा जिस विषय समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय में आवेदक को इण्टरमीडिएट/+2 की परीक्षा में उतीर्ण होना अनिवार्य है:–

1.	भाषा	हिन्दी/संस्कृत/अरबी/फारसी/उर्दू	30 प्रतिशत
		अंग्रेजी	10 प्रतिशत
		जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाएं	10 प्रतिशत
2.	विज्ञान	भौतिक/गणित	15 प्रतिशत
		रसायन/जीव विज्ञान	15 प्रतिशत
3.	समाज अध्ययन	इतिहास/भूगोल/नागरिक शास्त्र/अर्थशास्त्र/वाणिज्य	20 प्रतिशत

किस विषय में आवेदन किया जा रहा है विषय का नाम स्पष्ट लिखें।
10. क्या आप सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/सांसद/भूतपूर्व सांसद/विधायक/भूतपूर्व विधायक या पार्षद के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी है, अगर हाँ तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें :–..............................
11. क्या आवेदक विकलांग हैं? (अगर हाँ तो असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) विकलांगता का प्रतिशत..............................
12. शुल्क का विवरण– सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रु. 100/– (एक सौ) रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु. 30/–(तीस) रुपए का बैंक जमा पर्ची की अधकटी, जिसके पीछे आवेदक अपना नाम, कोटि तथा पता का उल्लेख अवश्य करें, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
(क) बैंक का नाम .... (ख) राशि ....
(ग) राशि जमा करने की तिथि ....
13. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट का नाम जहाँ आवेदक नामांकन कराना चाहते हैं। (आवेदक वरीयता के अनुसार तीन महाविद्यालय का नाम अंकित करें)
(क)..............................(ख)..............................(ग)..............................
14. अनुलग्नक (निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें एवं संबंधित बॉक्स में(हाँ/नहीं) लिखें

क्र0	विवरण	हाँ/नहीं	क्र0	विवरण	हाँ/नहीं
1	मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र		7	कीडा प्रमाण पत्र	
2	मैट्रिक का अंक पत्र		8	एन.सी.सी. प्रमाण पत्र	
3	इन्टर का अंक पत्र		9	आवासीय प्रमाण पत्र	
4	स्नातक का अंक पत्र		10	जाति प्रमाण पत्र	
5	स्नातक(प्रतिष्ठा) का अंक पत्र		11	स्वपता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 25/–रुपये का डाक टिकट सहित	
6	स्नातकोत्तर का अंक पत्र				

15. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि
(क) आवेदन पत्र में अंकित एवं संलग्न सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही व सत्य है। नामांकन के समय या प्रशिक्षण के दौरान कोई भी उक्त अंकित सूचना गलत पायी जाती हैं तो मेरा/मेरी उम्मीदवारी रद्द/महाविद्यालय से निष्कासित कर दी जाय तथा मेरे उपर कार्रवाई की जाय।
(ख) मैं अनुशंसित प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट में नामांकन कराउंगा/कराउंगी। अन्य किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट में स्थानांनतरण हेतु दावा नही करुंगा/करुंगी।

स्थान :..............................
दिनांक :..............................

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर